एक और सच–उम्र का

सावरा/सुनीता

गुजरात की सांप्रदायिक हिंसा में महिलाओं का भयंकर यौनिक शोषण हुआ। इस समाज में औरत परिवार, समाज व देश की संपत्ति के रूप में देखी जाती रही है। इसलिए दंगा हो या युद्ध हिंसा का हर दौर में औरतों का यौनिक शोषण किया जाता रहा है।

इस लेख में हम गुजरात में राहत कार्यों से लौट रही हमारी महिला साथी के साथ हुए यौनिक शोषण की घटना आपके सामने पेश कर रहे हैं।

गुजरात में हिंसा के शिकार हुए भाई बहनों का दर्द लेकर हम दिल्ली से गुजरात पहुंचे। सबसे पहले हम दरगाह कैंप गए। किसी परिवार में बच्चा बीमार, किसी में औरत बीमार है, किसी में आदमी बीमार है। कोई भी ऐसा परिवार नहीं था जिसमें एक दो बीमार न हों। पिछले पांच महीने से इन्हें ठीक से खाना भी नसीब नहीं हुआ। उनका तो बस एक ही कहना था कि हमारा गुजरात सबसे अच्छा था। पता नहीं इसे किसकी नज़र लगी थी। जुमेरात- जुम्मे का दिन तो जैसे हमारे लिए कयामत का दिन ही बन गया था।

हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम किस तरह उनकी तकलीफ़ को बांट सकते हैं। बस उनके मन की तकलीफ़ को सुनकर, बच्चों के साथ खेलकर, उन्हें पढ़ाकर और उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करते रहे। यही कोशिश रही कि उन्हें अकेलापन न महसूस हो। उनकी तकलीफ़ सुनने वाला कोई है, यह अहसास भी जैसे उनके लिए बहुत बड़ी बात थी।

गुजरात से अपने राहत दौरे के बाद आश्रम एक्सप्रेस से हम दस दिन के बाद लौट रहे थे। हम छः लोगों में से तीन का रिजर्वेशन एक कोच में था व बाकी तीन एक कोच में थे। हम सब अपनी कोच में बैठे बच्चों के साथ खेलते, गाते हुए आ रहे थे। हमारे सामने वाली सीट खाली थी। इसलिए हमारी एक साथी उस पर सोने चली गई। हमने यह सोचा कि जिसकी सीट है, उसके आने पर हम वहां से हट जाएंगे।

लगभग साढ़े आठ बजे रात को वहां एक व्यक्ति आया। उसकी उम्र तकरीबन 55 या 60 के करीब थी। हमारे पूछने पर पता चला कि जिस पर हमारी दोस्त सो रही है, वह उसकी सीट है। वह सीट से उठने लगी तो उस व्यक्ति ने रोकते हुए कहा कि- 'नहीं नहीं, आप आराम से सोयें, क्योंकि में कहीं और बैठने जा रहा हूं।' इसके बाद वह चला गया व हम सब भी सो गए।

करीब 4.30 बजे मुझे अजीब सा महसूस हुआ तो मेरी नींद टूट गई। बृजेश मोहन भरभुज मेरे कुरते में हाथ डालकर बेहद बदतमीजी कर रहा था। वही व्यक्ति जिसने हमें कुछ घंटों पहले आराम से अपनी बर्थ दी। वह वहां पता नहीं कब आया।

मैंने भी फौरन उसका हाथ वहीं पर दबोच कर उसे पीटना शुरू कर दिया। अब वह तो लगा

मांफ़ी मांगने- बार बार मेरे पैर पकड़े, कभी बहन तो कभी बेटी कहकर, कभी दीदी कहकर अपने कान पकड़ रहा था। मैंने उससे पूछा जब तू मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था तब तुझे याद नहीं आया कि मैं तेरी बहन, बेटी जैसी ही हूं। इस बीच मेरे साथी व दूसरे लोग भी शोर सुनकर जाग गए थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई।

क्या किया जाए

हम सब ने आंखों ही आंखों में तय कर लिया कि इस व्यक्ति को बंद कराना है। हमने उसे इस बात का आभास भी नहीं होने दिया कि हम आगे क्या कदम उठाने जा रहे हैं। इसी बीच जयपुर आ गया और हम अपने सामान सहित जयपुर पर उतर गए। बृजेश मोहन बेफ़िक्र होकर चाय पी रहा था।

पुलिस का रवैया

हम गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने ही पुलिस वाले प्लेटफार्म पर बैठे नज़र आए। हमने उन पुलिस वालों से मदद मांगी तो बोले कि सामने पुलिस चौकी है, वहां जाओ। हम चारों लोग पुलिस चौकी की तरफ़ दौड़े। वहां गए तो चौकी वाले बोले कि आर्मी वालों की शिकायत तो- साथ में थाना है वहां होगी। फिर हम चारों लोग थाने की तरफ़ दौड़े। थाने से दो पुलिस वाले अपने साथ लिए, उनमें से एक के पास बंदूक थी, एक के पास डंडा था। दोनों पुलिस वाले और हम चारों लोग गाड़ी के अंदर पहुंचे व बृजेश मोहन को उठा कर थाने ले गए। अब तो बृजेश मोहन माफ़ी मांगे जा रहा था कि-' मेरी बेटी, मेरी दीदी मुझे माफ़ कर दे। मेरी लाइफ़ का क्या होगा, मेरे बच्चे मेरी बीवी सुनेगी तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। पुलिस वाले बृजेश मोहन को गाड़ी से उठाकर ले गए थे। बृजेश मोहन खुद को कर्नल बता रहा था, इससे वे लोग डर गए। जब एफ़. आई. आर. लिखी जा रही थी तो पता चला कि उसका बाप कर्नल था। दोनों पुलिस वालों में से कोई भी नहीं बता रहा था कि वे लोग हमारे साथ बृजेश मोहन को लेकर आए थे। सहायक पुलिस इंस्पेक्टर राजा राम ने जब सख्ती से पूछा और अमन (हमारा साथी) ने उन्हें पहचान लिया तब वे लोग बोले कि उन्होंने हमारी मदद की है। पुलिस वाले हमें फंसाना चाहते थे-इस मामले में कि हम बृजेश मोहन को मारते हुए थाने तक लाए ताकि उल्टा हमें केस में फंसाया जा सके।

संपर्क साधे तो बात बनी

इसी बीच अमन ने कविता श्री वास्तव को फ़ोन कर दिया। कविता जयपुर में काम करने वाली एक संस्था की सक्रिय कार्यकर्ता और वकील हैं। कविता

ने भी तुरंत अपनी एक वकील मित्र को हमारी मदद के लिए भेज दिया। सुबह छः बजे तक जसरीन थाने में पहुंच चुकी थीं।

जसरीन को देखते ही पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए। जसरीन को वहां अचानक पाकर उससे पूछा तो जसरीन ने कहा कि-'दुनिया का कोई भी कोना हो संस्था संस्था को जानती है व मदद करती है। पुलिस वाले पहले ता पचास सवाल कर रहे थे पर अब फटाफट बयान लिखने लगे। एफ़. आई. आर. की प्रति देने में आना कानी कर रहे थे। उनकी कोशिश थी कि हम सुलह कर लें, उसे माफ़ कर दें। मगर दो दो संस्थाओं को सामने पाकर अब वे तुरंत पलड़ा बदल गए।

कविता श्रीवास्तव ने इलाके के डी.सी.पी. को फोन करके मामले की जानकारी दी। डी.सी.पी. ने थाने में फोन किया तो थानाध्यक्ष मेरा बयान लेने आया। थानाध्यक्ष मुझसे पूछने लगा कि सच बोलना क्या बृजेश मोहन ने जान बूझकर आपके साथ बदतमीजी की। मैंने भी उसे जवाब दिया कि बृजेश मोहन तो मेरा सौ साल से पड़ोसी था, उससे दुश्मनी निकालने के लिए ही मैंने उसका झूठा नाम लगाया है।

माफ़ी मांगी

उसने बृजेश मोहन से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वह बोला कि मैं तो सीट की जंजीर पकड़ रहा था कि अचानक हाथ इनके सीने पर लग गया। मुझे गुस्सा आ गया मैंने थानाध्यक्ष से कहा कि आपके सामने झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। इसके थेाबड़े पर एक झापड़ दूंगी खींचकर तो अभी सच उगल देगा।

जंजीर मेरे सीने में बंधी थी जो ये बेचारा मेरा दर्द करके उसे खोल रहा था। दरअसल इस पूरे मामले में पुलिस लापरवाही और उपेक्षा से काम ले रहे थे। उनकी पूरी कोशिश थी कि हम मामले को दबा दें। सुलहनामा करा दें। वे सोच रहे थे कि औरत हैं, थोड़ा चिल्ला कर चुप हो जाएंगी। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया पर अचानक मैंने देखा कि मेरे कुरते के बटन भी खुले थे तो मुझे और भी गुस्सा आया।

माफ़ क्यों किया जाए

मैंने थानाध्यक्ष से सीधे सादे शब्दों में कहा कि मुझसे समझौते की बात न की जाए। मैं इस आदमी को किसी भी हाल में माफ़ नहीं करूंगी। मेरे साथी अमन और स्वप्निल भी कह रहे थे कि साबरा दी कहीं फैसला मत कर लेना। यह आदमी तो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। एक तरफ़ माफ़ मांग रहा है और दूसरी तरफ़ चालबाजी कर रहा है। इसका मतलब तो इसने पता नहीं कितनी और औरतों के साथ ऐसा किया होगा। आगे भी न जाने कितनी औरतों के साथ ऐसा करेगा। ऐसे आदमी को तो कभी माफ़ नहीं करना चाहिए।

बृजेश मोहन जितनी बार मुझसे माफ़ी मांग रहा था उतना ही मुझे गुस्सा चढ़ रहा था। जसरीन व कविता की मदद से हमने उस आदमी को अंदर तो करा दिया। मगर दिल्ली आकर हमें पता चला कि बृजेश मोहन जमानत पर रिहा हो गया है।

दिक्कत पैदा करता नज़रिया

औरतों पर होने वाली यौन हिंसा के प्रति हमारे समाज और पुलिस का रवैया बहुत कुछ ज़िम्मेदार है–औरतों की चुप्पी के लिए।

सुना व पुलिस या अन्य सरकारी महकमें भाई चारा निभाते हुए आम आदमी व औरतों के प्रति उपेक्षा और लापरवाही का रवैया अपनाते हैं, जिससे आम आदमी/ औरतों को साहस ही नहीं होता कि वे ऐसी घटनाओं पर आवाज़ उठाएं।

ऐसे अपराधों को आम अपराध मानकर औरतों को ही इज़्ज़त का वास्ता देकर चुप करार दिया जाता है।

एक बात और

जब तक आप हिंसा को चुपचाप सहेंगी तब तक वह होती ही रहेगी।

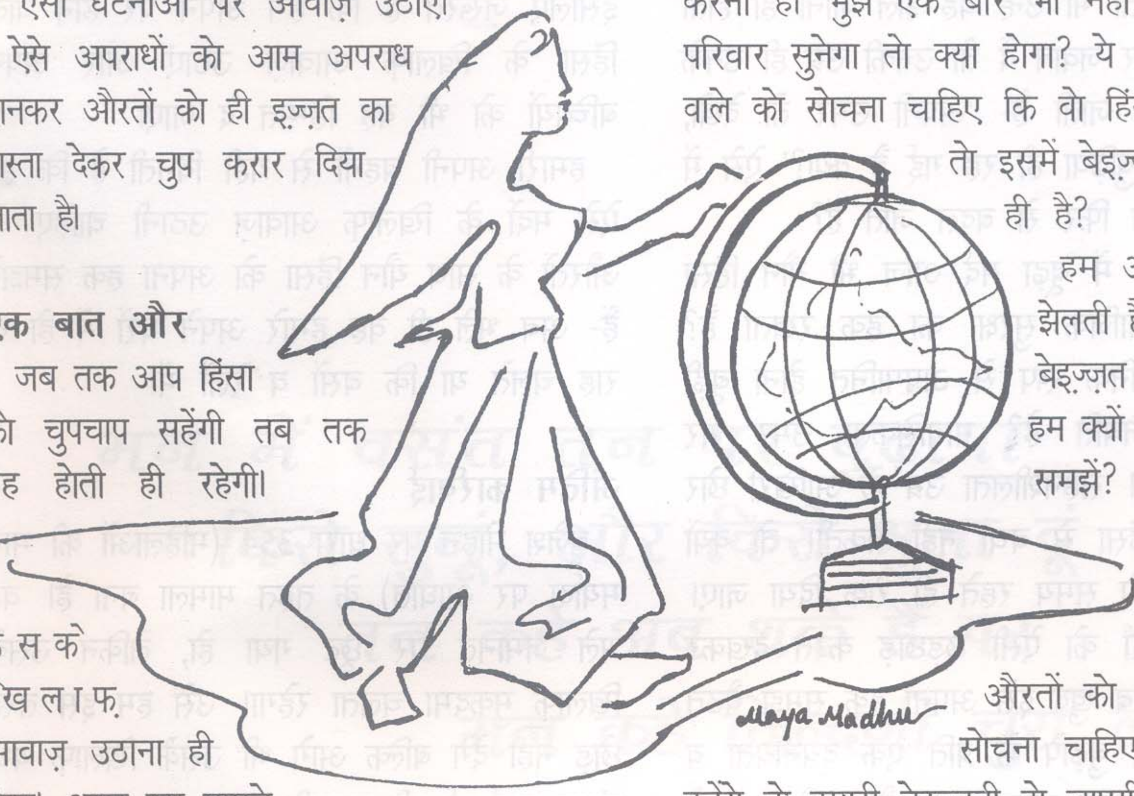

उसके खिलाफ आवाज़ उठाना ही होगा। अगर इस मामले में हम भी चुप लगा जाते तो बृजेश मोहन फिर किसी औरत के साथ वहीं सब करने के लिए छूट जाता। अब वह कभी ऐसी हिम्मत तो नहीं करेगा न! क्यों हम औरतें मर्दो की मनमानी को सहती रहें? क्या हम शरीर के अलावा कुछ नहीं हैं? क्या हमारा मान, सम्मान, भावनाएं कोई मायने नहीं रखतीं- जो समाज और लोग ऐसा सोचते हैं, उन्हें सबक तो सिखाना ही चाहिए।

सामाजिक नज़रिया

औरतों पर हिंसा हर उम्र में होती है। चाहे वह पांच साल की बच्ची हो या 70 साल की बुढ़िया हो। मैं पूछती हूं क्या इस तरह की घिनौनी सोच के आदमियों ने औरतों पर हिंसा करने का ठेका ले लिया है। हमें पूरी हिम्मत से इनका मुकाबला करना है। मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मेरा परिवार सुनेगा तो क्या होगा? ये तो हिंसा करने वाले को सोचना चाहिए कि वो हिंसा कर रहा है तो इसमें बेइज़्ज़ती तो उसकी ही है?

हम औरतें हिंसा भी झेलती हैं और खुद को बेइज़्ज़त भी समझती हैं। हम क्यों खुद को बेइज़्ज़त समझें? मेरे इस मामले में भी तो नीचा बृजेश मोहन ने ही देखा। हम औरतों को कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ करेंगे तो हमारी बेइज़्ज़ती हो जाएगी। बल्कि हिंसा करने वालों पर ही बेइज़्ज़ती की मोहर लगानी चाहिए।

ज़रा सोचें

बृजेश मोहन की उम्र 60 साल की थी। बूढ़े मर्द ऐसी घिनौनी हरकत कर सकते हैं तो युवाओं को तो और भी बढ़ावा मिलेगा। बूढ़ों के प्रति आदर और सम्मान की भावना हमेशा उनके मन में रहती है। वही बूढ़े जब ऐसी हरकतें करते हैं तब बुढ़ापे की क्या इज़्ज़त की जाए, यह समझ नहीं आता? सब बेमानी सा लगने लगता है? उस पर भी बाप

और अंकल होने की दुहाई देकर उल्टा लड़कियों व औरतों को ही बेइज़्ज़त किया जाता है। ऐसे में आप क्या बुढ़ापे की इज़्ज़त कर पाएंगी?

दूसरी ओर बूढ़ी औरतों पर इसी तरह की यौनिक हिंसा होती है तो भी उन्हें वह झेल जाना ही होता है। वे पलट कर जवाब दें तो उनकी उम्र ही उनके लिए ताना बन जाती है- 'अपनी उमर तो देखो, छेड़ने के लिए बुढ़िया ही रह गई है क्या?' ऐसे में बुढ़ापे के मायने फिर से बदल जाते हैं?

हमारे समाज में बूढ़ा मर्द आज भी यौन हिंसा करने पर सामाजिक सुरक्षा का हक रखता है? दूसरी ओर यौनिक रूप से अपमानित होना बूढ़ी औरतों की नियति है? मानसिकता उमर भर बदलती नहीं है। सहनशीलता उम्र के आखिरी छोर तक आपको हिंसा से बचा नहीं सकती। तो क्यों न ऐसे रोगों को समय रहते ही रोक दिया जाए। बूढ़े बूढ़े मर्दों को ऐसी छेड़छाड़ करते देखकर जवान तो खुद ब खुद इसे अपना हक समझ बैठते हैं? दूसरी ओर बुढ़ापे के प्रति एक दयनीयता व लाचारी का अहसास पलता रहता है। नतीजन दादी नानियों की बूढ़ी नसीहतें बच्चियों पर रोक लगा बैठती है। बिना यह समझे कि रोक और चुप्पी से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युवतियों में बूढ़े मर्दों से भी असुरक्षा और नफ़रत का अहसास बना रहता है।

उम्र का दौर एक ही–सच अलग

समाज में औरत और मर्द दोनों के लिए अलग अलग मायने व रूप लेकर आता है। एक ओर शोषण करने की आदत बुढ़ापे तक कायम रहती है, विरासत में अगली पीढ़ी को वही सौंपकर खत्म हो जाती है। दूसरी ओर सहने की भावना ताउम्र कायम रहती है और भावी पीढ़ी को ख़ुद ब खुद सब कुछ सिखा जाती है। उम्र बढ़ने या कम होने से हम औरतों की तकलीफ़ों का अंत नहीं होता। इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने पर होने वाली हिंसा के खिलाफ़ आवाज़ उठाएं और अपनी बच्चियों को भी यह हिम्मत दे जाएं।

हमारी अपनी बहनों से यही विनती है कि हमें ऐसे मर्दो के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए जो औरतों के साथ यौन हिंसा को अपना हक समझते हैं- अब भले ही वह हमारे अपने घरों में हो या राह चलते या कि बसों व रेलों में।

अंतिम कार्रवाई

बृजेश मोहन पर धारा 354 (महिलाओं की मान मर्यादा पर आघात) के तहत मामला बना है। वह भले जमानत पर छूट गया हो, लेकिन उसके खिलाफ़ मुकदमा चलता रहेगा। उसे हम इस तरह छोड़ नहीं देंगे बल्कि आगे भी उसके खिलाफ़ यथा संभव कार्रवाई की जाएगी।

ब्रजेश मोहन के नाम शिकायत दर्ज कराना ही हमारा उद्देश्य नहीं था। हमारा लक्ष्य था ऐसे मुद्दों पर चुप्पी तोड़ना, रास्तों, बसों व रेलों में यौन हिंसा की शिकार महिलाओं में इतनी हिम्मत जगाना कि वे उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकें, उनके प्रति सामाजिक और कानूनी तंत्र (पुलिस) के नज़रिए को झकझोरना कि औरतों के साथ ऐसे दुराचार कोई हंसी मजाक नहीं है। इसलिए क़ानून भले ही बृजेश मोहन को ज़मानत पर छोड़ दे, लेकिन ऐसे अत्याचारों के खिलाफ़ हमारी लड़ाई तो जारी ही रहेगी। ❊